

व्यवहार न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सूचना

दिनांक 04.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकाशित सूचना के आलोक में आमंत्रित आवेदन-पत्रों के जॉचोपरान्त कुल 123 आवेदनों को लॉटरी हेतु योग्य पाया गया है। जबकि श्री रितिक कुमार सिंह एवं श्री राकेश जना के आवेदनों को निरस्त किया गया है।

आदेशानुसार, सभी सुयोग्य आवेदकों को सूचित किया जाता है कि व्यवहार-न्यायालय परिसर में निर्मित 15 दुकानों (1. स्टाम्प भंडर – चार दुकान, 2. फोटोकॉपीयर/स्केनर/लेमिनेशन – दो दुकान, 3. डिजिटल टाईपिंग मशीन – दो दुकान, 4. स्टेशनरी/बुक बाइंडिंग – दो दुकान, 5. मिठाई एवं नास्ता – दो दुकान, 6. चाय – दो दुकान, 7. धोबी – एक दुकान) का आवंटन लॉटरी द्वारा निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया गया है –

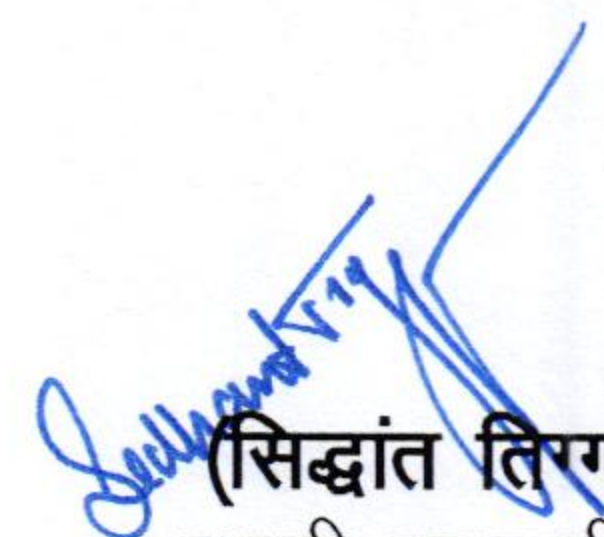
स्थान – लोक अदालत हॉल, व्यवहार न्यायालय, जमशेदपुर।

तिथि – दिनांक 06 जनवरी, 2026 (मंगलवार)

समय – 10:00 AM से शुरू (रिपोर्टिंग समय 09:30 AM)

अतः सभी सुयोग्य आवेदकों से अनुरोध है कि वे दिनांक 06 जनवरी, 2026 को लोक अदालत कक्ष, व्यवहार न्यायालय, जमशेदपुर में निम्न कागजातों के साथ 09:30 बजे अपराह्न अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें— (1) मूल आधार कार्ड, (2) मूल PAN कार्ड, (3) लाईसेंस (स्टाम्प भंडर के लिए), (4) दो रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ, (5) विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय में अपराधिक वाद लंबित न होने के संबंध में शपथ-पत्र तथा (6) अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)।

इसे अति आवश्यक समझें।


(सिद्धांत सिंगा)
प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, जमशेदपुर।

23.12.2023-